कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग, बुरहानपुर

Office Address:- Rest House Burhanpur Campus, Amravati Road,

email:- eepwdburmp@mp.nic.in

Phone No. 07325-24208 Burhanpur 450331 बुरहानपुर दिनांक ुर 7

2023

पत्र कं.//२८/तक./2023–24/ प्रति, वनमंडलाधिकारी (सामान्य) बुरहानपुर सामान्य, वनमण्डल बुरहानपुर, (म.प्र.)

web.site.: www.mp.gov.in/pwdmp

विषय– सुक्ता से झिरपांजरिया मार्ग के 2.38 हेक्टेयर वन भूमि का पालन प्रतिवेदन देने बाबत्। संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/1183 बुरहानपुर दिनांक 14.03.2023

उपरोक्त् विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन, भोपाल द्वारा सुक्ता से झिरपांजरिया मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गई है, जिसका पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

2	
	2
The cost of compensatory afforestation on the CA land 2.38 h non- forest at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	3 एन.पी.व्ही. की राशि रू. 15.94,933/– तथा वृक्षारोपण योजना हेतु राशि रू. 28,63,288/– कुल राशि रू. 44,58,221/– कैम्पा मद म.प्र. के युनियन बैंक ऑफ इंडिया, वैंगलौर शाखा के खाता क्रमांक 1507661152685281 में जमा करा दी गई है। उक्त् चालान की छायाप्रति संलग्न है।
Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.38 ha non-forest land at Khasra No. 251, 252, Village-Beed Raiyat, Tehsil- mixture of local native species should be avoided.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु ग्राम बीड़ तहसील नेपानगर 251, 252, रकबा कुल 2.38 हेक्टेयर में परिवर्तित वन भूमि में सम्मिलित किया गया है। एन.पी.व्ही. की राशि रू. 15,94,933 / – तथा वृक्षारोपण योजना हेतु राशि रू. 28,63,288 / – कुल राशि रू. 44,58,221 / – कैम्पा मद म.प्र. के युनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंगलौर शाखा के खाता क्रमांक 1507661152685281 में जमा करा
The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation.	दी गई है। उक्त् चालान की छायाप्रति संलग्न है। शर्त क्रमांक–03 के अनुपालन में विकल्प वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि ग्राम बीड़ तहसील नेपानगर 251, 252, रकबा कुल 2.38 हेक्टेयर वन विभाग को भूमि हस्तांतरण नामांतरण/फार्म
the State Forest Act and the said notification shall be submitted before	
The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.38 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-II) Dated 06/01/2022 in this regard.	15,94,933 / – तथा वृक्षारोपण योजना हेतु राशि रू. 28,63,288 / – कुल राशि रू. 44,58,221 / – कैम्पा मद में ई–पोर्टल द्वारा अपर प्रधान वन संरक्षण (भू–प्रबंध) के द्वारा सत्यापित करवा कर राशि ई–चेक के चेक क्रमांक W480513852 द्वारा जमा करा दी गई है। चालान एवं राशि हस्तांतरण का स्टेटमेन्ट प्रस्तत है।
All the funds received from the user agency under the project shall b	९ सभी राषितां भारत है।
	 Scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.38 ha non-forest land at Khasra No. 251, 252, Village-Beed Raiyat, Tehsil- mixture of local native species should be avoided. The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation. The non-forest land which has been transferred and mutated in favor of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Keserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section (s) of the State Forest Act and the said notification shall be submitted before Stage-II approval. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.38 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 06/01/2022 in this regard. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred.

Sukta Jhirpanjriya Road Palan Prativedan 30-06-2023

क्रं.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन					
1							
7	2 Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	3 कलेक्टर जिला बुरहानपुर से FRA 2006 अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। छायाप्रति					
8	Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.						
9	(https://parivesh.nic.in/)	पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है।					
10	In case the State Forest Department issued working permission, a copy of the same shall be submitted to this office.	शर्त मान्य है।					

В,	Conditions which need to be strictly complied on filed of the banding over of forest land to the licen Agency
by the	Conditions which need to be strictly complied on filed after handing over of forest land to the User Agency
-,	State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II
appro	val:

क्रं.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
1	2	-
1	Legal status of the forest land L. U.	3
	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेंगा।
	5	शर्त क्रमांक–01 के पालन हेतु आवेदक संस्था
2	Additional	वचनबद्ध है। शर्त मान्य है।
-	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if	वचन पत्र संलग्न है।
		TI DESCRET ST SAMA DESCRETE DE LOS DE
3	undertaking to this effect.	
	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	शर्त मान्य है।
4	No muck shall be d'	
5	No muck shall be disposed off in forest land.	शर्त मान्य है।
č	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project east	शर्त मान्य है।
6		
	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government	शर्त मान्य है।
7		
8	Shall be established on the format 1 1	शर्त मान्य है।
	The User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per IBC news	शर्त मान्य है।
9	central verge of the road as per IRC norms.	
	Speed regulating signage's will be erected along the road at regular intervals in the Protected Arrest.	शर्त मान्य है।
10		
	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the laborers and the staff working of the laborers.	शर्त मान्य है।
	the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	
11	No additional or new path will be	1 The second sec
	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction and the forest	शर्त मान्य है।
	area for transportation of construction materials for execution of the project work.	
	उक्त पालन प्रतिवेदन के आधार पर सकता से निज्यां तरिक नार्य के	

पालन प्रतिवेदन के आधार पर सुक्ता से झिरपांजरिया मार्ग की वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने उक्त् का कष्ट करें।

सहपत्र–उपरोक्तानुसार।

पु.क./1787 /तक./2023-24/, प्रतिलिपि-

1)

2)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग इन्दौर परिक्षेत्र इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, खण्डवा मण्डल खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित। 3)

कलेक्टर, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। 4)

5)

अनुविभागीय अधिकारी, लोनिवि उपसंभाग नेपानगर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। सहपत्र–निरंक

> कार्यपालन यंत्री लोनिवि संभाग बुरहानपुर

Sukta Jhirpanjriya Road Palan Prativedan 30-06-2023

min कार्यपालन यत्री लोनिवि संभाग बुरहानपुर बुरहानपुर दिनांक 023

FORM-I

(For Linear Projects) Government of ... ח: ח: הייש Office of the District Collector אוג אממשעי

Dated. 16. 03 20.22

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

I in compliance of the Ministry of Enviroment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (Pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidlines n submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dewllers (Recongintion of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read relaxation in respect of linear project it is certified that 2.38 hectares of forest land proposed to be diverted in favour agency) for upgradation of Sukta to Jhirpanjriya Road MDR Length 3.975 Km under plan Burhanpur district falls within jurisdiction of Sukta & Jhirpanjriya village (s) in Nepanagar Tehsils District Burhanpur.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.38 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s). Gram Sabha (s). Sub-Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 01 to 03
- (b) The diversion of forest for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposal does not invoice recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

(Full name and official seal of the District Collector) सहायक आयुक्त र्जातीय कार्य. विभाग. THE TUR (H.H.) Technical Memo 2021-22

न्यायालय कलेक्टर जिला, बुरहानपुर

राजरव प्रकरण कमाक 29 अ/59, 2021-22 वुरहानपुर, विनांक 2812127

कमाक / रोडर कल0 / 2022 /

आदेश

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर व्दारा पत्र कमांक / 264/तक./2021-22 / दिनाक 10-02-2022 प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि जिला युरहानपुर अन्तर्गत ग्राम सुक्ता नवाड विषणांचिया एग निर्णाल कर अनुरोध किया गया कि जिला युरहानपुर अन्तर्गत ग्राम सुक्ता नवाड झिरपाजरिया मार्ग निर्माण हेतु राजस्व प्रकरण क0 11 अ / 59 2021-22 दिनांक 30-09-2021 द्वारा 2.385 हेक्टर भूमि यम विभाग को हस्तान्तरित की गई है । यन दिभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण में पत्र कमांक / मा0चि0/20222/ 390 दिनांक 27-01-22 हारा उक्त भूमि उपयुक्त नहीं होन से अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है । ग्राम बीड रें० की भूमि खसरा नं० 251, 252 कुल रकबा 2.38 हैक्टर वन विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु उचित पाया गया है । पूर्व में प्रदाय की गई भूमि को निरस्त करते हुए साम बोड रैं० की भूमि खसरा २० २५१, २५२ कुल रकबा 2.38 हेक्टर भूमि वन विभाग का हस्ताम्तरित करने का निवेदन किया गया ।

प्रकरण दर्ज किया गया । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर से जॉब कर प्रतिवेदन प्राप्त 2. किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बीड़ रै० के खाते का एकबा 396.21 हैक्टर एवं चरनोई का रकबा 23.68 हैक्टर है । दो प्रतिशत चरनोई का रकवा 7.92 हैक्टर छोडकर शेष रकवे का आबटन किया जा सकता है । राजस्व पुस्तक परिपत्र 4–1 कण्डिका–28 के अनुसार सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार हेतु आबंटन किये जाने वाली शासकीय भूमि प्रिमियम और भू–भाटक से मुक्त रहेगी । अतः वन विभाग को ग्राम बोड रै० की भूमि खसरा नं० 251, 252 रकवा कमरु: 168, 0.72 हेक्टर कुल रकबा 2.38 हैक्टर नोईयत परिवर्तन कर आबंटित किया जाना उचित हे ।

मेरे व्दारा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, जांच प्रतिवेदन का विस्तृत रूप से अवलोकन किया गया । 3. अधिनस्थ न्यायालयों के जांच प्रतिवेदनों से सहमत होते हुए उपरोक्तानुसार अनुशंसा की गई है, ग्राम वोड रें0 की भूमि खसरा मंं0 251, 252 रकबा छमशा 1.66, 0.72 हैक्टर कुल रकबा 2.38 हैक्टर भूमि म०प० भू राजस्व संहिता की धारा 237(3) के तहत चरनाई नद से व्यपवर्तित कर वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 कण्डिका-26 के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है ।



पुण्ळमांक / वाचक कले० / 2021 / 1474

प्रतिलिपिः ः--

प्रमुख सविय, ग०प्र०शासन, राजस्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

- ग्रमुख सचिव,म०प्र० शासन वन विभाग मंत्रालय, भोषाल ।
- सचिव, म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल ।
- आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित
- वनमंडलाधिकारी, (सामान्य) यन नंडल. बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ ।
- अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- कार्यपालन यंत्री लोक निर्नाण दिभाग, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ

कार्यपालन पहुंच राजने की ओर सूचनार्थ एवं रिकाइ उक्तर केर पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु अग्रेषित।

https://ifmisprod.mptreasury.gov.in/IFMS/ifms.htm?action

	c	Cheque No	W480513852		ent Mode	E-Cheque			
	1	Freasury Name	4801902001-EB BURHANPUR	E PWD					1
Cheque	Party Code	Party Name	Account No	Bank Name	Branch Name	IFSC Code	Payment Mode	Aadhaar No.	Amount
Sr No. 1	2000269318545	MADHYA PRADESH CAMPA	1507661152685778	26-UNION BANK OF INDIA	0996335-FCS BANGALORE	UBIN0996335	Account	• 	4,458,22
One R	ecord found.								
		an a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

S. A. S. S.

۲. .

; शर्त क्रमांक — 2 (B)

व्यपवर्तित वन भूमि के बदले अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि जमा किये जाने का वचन पत्र

लोक निर्माण विभाग संभाग बुरहानपुर अन्तर्गत प्रस्तावित **सुक्ता से झिरपांजरिया मार्ग** निर्माण हेतु 2.38 हेक्टेयर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6 एम.पी.बी. 015/2022—बी.एच.ओ./दिनांक 01.03.2023 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के पालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वार कोई अतिरिक्त् एन.पी.व्ही. की राशि जमा करने हेतु शर्त अधिरोपित की जाती है, तो विभाग राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है।

A CONTRACT A CONTRACT OF

कार्यपालन यंत्री लोनिवि संभाग बुरहानपुर

Sukta Jhirpanjriya Road Palan Prativedan 30-06-2023

न्यायालय कलेक्टर जिला, बुरहानपुर

कमाक / रीडर कले0 / 2022 /

राजस्व प्रकरण कमाक 25 अ/59, 2021-22 बुरहानपुर, दिनांक 2812022

आदेश

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर व्यारा पत्र कमांक / 264/तक./2021-22 / दिनाक 10-02-2022 प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि जिला बुरहानपुर अन्तर्गत ग्राम सुक्ता नवाड़ झिरपाजरिया मार्ग निर्माण हेतु राजस्व प्रकरण क0 11 अ / 59 2021-22 दिनांक 30-09-2021 द्वारा 2.385 हैक्टर भूमि वन विभाग को हल्तान्तरित की गई है । वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण में पत्र कमांक / मा0चि0 / 20222 / 390 दिनांक 27-01-22 हारा उक्त भूमि उपयुक्त नहीं होने से अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है । ग्राम बीड़ रैं० की भूमि खसरा नं० 251, 252 कुल रकबा 2.38 हैक्टर वन विभाग को इस्तान्तरित करने हेतु उचित पाया गया है । पूर्व में प्रदाय की गई भूमि को निरस्त करते हुए ग्राम बीड रैo की भूमि खसरा न0 251, 252 कुल रकबा 2.38 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने का निवेदन किया गया ।

प्रकरण दर्ज किया गया । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर से जांच कर प्रतिवेदन प्राप्त 2. किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बीड़ रै0 के खाते का रकबा 396.21 हैक्टर एवं चरनोई का रकबा 23.68 हैक्टर है । दो प्रतिशत चरनोई का रकबा 7.92 हैक्टर छोडकर शेष रकबे का आबंटन किया जा सकता है । राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 कण्डिका-26 के अनुसार सामुदायिक स्विधाओं के विस्तार हेतु आबंटन किये जाने वाली शासकीय भूमि प्रिमियम और भू-भाटक से मुक्त रहेगी । आतः वन विभाग को ग्राम बोड रै० की भूमि खसरा नं० 251, 252 रकबा कमशः 1.66, 0.72 हैक्टर कुल रकबा 2.38 हैक्टर नोईयत परिवर्तन कर आबंटित किया जाना उचित है ।

मेरे व्दारा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, जांच प्रतिवेदन का विस्तृत रूप से अवलोकन किया गया । 3. अधिनस्थ न्यायालयों के जांच प्रतिवेदनों से सहमत होते हुए उपरोक्तानुसार अनुशंसा की गई है, ग्राम बीड रें) की भूमि खसरा नं0 251, 252 रकबा कमशः 1.66, 0.72 हैक्टर कुल रकबा 2.38 हैक्टर भूमि म0प0 भ राजस्व संहिता की धारा 237(3) के तहत चरनोई भद से व्यपवर्तित कर वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 कण्डिका-26 के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है ।



पूर्णकमाक / यावक कले0 / 2021 / 1474 प्रतिलिपि -

प्रमुख सविध, ग०प्र०शालन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय, भोपाल ।

सचिव, म०प्र०शासन राजरच विभाग भोपाल । आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित

- वनमंडलाधिकारी, (सामान्य) यन नंडल, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ । 5-
- अनुदिभागीय अधिकारी, नेपानगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- फार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ 7---
- तहसीलदार नेपानगर की ओर सूचनार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्त कर पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु अग्रेषित। 8-

1-

2-

3-

4-



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख खेसरा प्ररूप एक (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

.



.

CLR No. : 11071370682

ग्राम: बी ड रैर			पटवारी हल्काः	बीड रैयत		तहसीलः नेपान	די		ਯਿਨਾ: ਭੁ	रहानपुर	वर्ष: 2023-2024
पूमि के भाग की यूनिक ओई	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेसग (सर्वेसग संख्यांक /ब्ल्ञॉक संख्यांक)	भू- खण्ड संख्यांक (ख्लोंक की दशा में)	मीटर में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. ज्ञासकीय भूमि	ਿਪਸ਼ਿ	नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	माता/पिता/पति	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. वंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल वे फसल 1. खरीफ 2. खी 3. जायद 4. अन्य	ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुकियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉल्टम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123902 1808	252 (S)		0.7200 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन	1		·				न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0024/अ-59/2021-22, आदेश दि. 18/02/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
7DDGD 3D9C5 G9H0			काबिल कास्त	शासकीय संस्था							म.प्र.शासन ,कार्या.भू.अभि.बंदोबस्त भू.अभि.म.प्र.का अर्ध्दशासकीय पत्र क्र.2632 /8/बंदो./2000 ग्वालियर दिनांक 21-08-2000के अनु.वर्णीकरण हेतु सुरक्षित,श्री.कले.आदे.क्र./क/691/नजुल/2002 आ.दि.7-02-03 के अनु.नजुल घोषित

.

Page 1 of 1 901 (2

Digitaliy signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS M Date: 2023.07.06 16:30:28 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No. : 11071370682 जोक सेवा केन्द्र, बग्राना

दि सोनवण



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृष भू-अभिलेख खसरा प्ररूप एक (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11071370247

ग्रामः बीड रैयत भूमि के भूमि के भाग की भाग का			पटवारी हल्काः 1. क्षेत्रफल्ज						रहानपुर	वर्षः 2023-2024	
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक	(ब्लॉक की दशा में)		 भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता आसकीय भूमि 	स्वामी	नाम, उसका मातां/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	माता/पिता/पति	भूमि पर विल्लांम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के फसल 1. खरीफ 2. खी 3. जायद 4. अन्य	ब्यौरे फललरु के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष -3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉल्प्म संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेस
1	2	3	4	5							
123836	251		1.6600		6	7	8	9	10	11	12
4922 7DDGM			हेक्टेयर	क्टेयर वन विभाग मध्यप्रदेश शासन	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0024/अ-59/2021-22, आदेश दि. 18/02/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
RD9C4 TFH0			कास्त								म.प्र.शासन ,कार्या.भू.अभि.बंदोबस्त भू.अभि.म.प्र.का अर्घ्दशासकीय पत्र क्र.2632 /8/बंदो./2000 ग्वालियर दिनांक 21-08-2000के अनु.वर्णीकरण हेतु सुरक्षित,श्री.कले.आदे.क्र./क/691/नजुल/2002 आ.दि.7-02-03 के अनु.नजुल घोषित

.

ATON Page 1 of 1 नेपा (द

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADERADESTIC सानवर Date: 2023.07.06 16:31:37 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy

.